प्रारूप – 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है)

<u>FORM – I</u> (for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Denradiu

No ... Mexico

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

It is further certified that -

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl – As above

(Full name and off e District Collector)

<u>FORM – II</u> (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehudun

No .. Memo 10

Dated .13.1.11)

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

It is further certified that -

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under thr FRA.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(f) The right of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural Communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Eucl – As above

Signature (Full name and official seal of the District Collector) दहरादून

प्रारूप – 30.1

DISTRICT Scharz (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place DuhouDuu

Deputy Commissioner-cum-chairman District Level Committee प्रारूप - 30.2

परियोजना का नाम – एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड कोल्सी परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिमाल ट्ये आदेशी आवर्सीय क्य राष्ट्र हि 13 हे० आरक्षित वन भूमि, हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0113 हे० वन भूमि) का 3 तिरार्तरार्तण 02007 बैठक की कार्यवाही का विवरण। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन्न अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रिजेशी तिवारों उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानेसार है। 1. श्री कर्त्रम् तिवारी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष । 2. श्री अत्र कर्त्राच्या उप प्रभागीय वनाधिकारी जुक्तर ति. ति सदस्य । 3. श्री जिटटन मिल सहायक समाज कल्याण अधिकारी क्षेत्रिक्षे सदस्य सचिव सिंदस्य स्विव उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, कि अन्यत्र आवशी आवशी आवशी आवशी के साथ रवस्ती व सि परियोजना हेतु 🕰 🛄 🔼 हे० वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतू प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, दारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सबंध में ग्राम सभा⁄पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चूकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सूर्वसम्पत्ति से उपखण्ड <u>Chiedell</u> परिक्षेत्र के अन्तर्गत <u>टिकलण आदेगा आवे परियो</u>जना के निर्माण हेतु <u>13</u> हे० वन भूमि प्रेयप्ति प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। 52151 उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील भाषसी जनपद क्रिजि उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति 1030 रीवर राजि डाकपत्थर collevan चकराता वन प्रभाग कालसी

41

प्रारूप - 30.3

परियोजना का नाम – एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम भू धीर्गन तहसील Markin जिला 2018

अनापत्ति प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड में जनपद स्रोधून के अन्तर्गत स्मिल्टर आपि परियोजना के निर्माण हेतु (....). हैo आरक्षित वन भूमि, हे० सिविल सोयम भूमि हे०, वन पंचायत भूमि हे०) अर्थात कुल हे० वन भूमि का जिल विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करियाने द्वारा दिनांक 28-6-12 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेत् विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है, अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया, कि ग्राम लोव्यान .. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि दिया दिन्स प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति 42151 नही है।

ह0/-ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

ह0/-ग्राम सचिव मुहर सहित